[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

Notification

The 1st July, 2014

No. S.O. 76/C.A. 20/2013/S. 40/2014.— In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of Section 40 of the National Food Security Act, 2013, (Central Act 20 of 2013) and with reference to Haryana Government, Food & Supplies Department, Notification No. S.O. 61/C.A.20/2013/S.40/2014, dated 12th June, 2014, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:—

Short title and Commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Food Security (Method of Appointment, conditions of service of Chairman and Members) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Food Security Act, 2013, (Central Act 20 of 2013);

(b) "Chairman" means the Chairman of the Commission;

(c) "Commission" means the Haryana State Food Commission;

(d) "Member" means the member of the Commission;

(2) Words and expression used in these rules and not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

Search Committee for appointment of Chairperson, Member Secretary and other members. sections 16 and 40.

3. (1) The Chairperson and Members shall be appointed by the Governor by warrant under his hand and seal on the recommendations of the State Government.

(2) The process of selection shall be initiated by the State Government within three months of the coming into force of these rules in the first instance and three months prior to the completion of tenure of the existing Chairperson or Member, as the case may be and shall be concluded within two months.

(3) There shall be a Search Committee consisting of a Chairperson and as many members as appointed by the State Government to assist it while firming up its recommendations for appointment of Chairperson/Members of the Commission. The Search Committee shall function subject to the following namely:-

Scanned by CamScanner

The Search Committee in its own wisdom may fix and/or vary the said principles, procedure and criterion at any time. However, while selecting the persons for recommending for appointment as Chairperson or members, it shall consider:-

(i) in case a candidate belongs to the category provided under clause (a) of sub-section (3) of section16, he shall be from Class-I Services;

(ii) in case a candidate belongs to the category provided under clause (b) or (c) of sub-section (3) of section 16, he shall be a graduate in professional course or post graduate in any stream.

(4) The State Government may, if it deems fit, require the Search Committee to revisit the principles, procedure and criterion adopted by it and may require the Search Committee to delete, include or vary them as suggested by it and to adhere to such suggestions which shall be binding on the Search Committee.

(5) (a) The State Government shall retain the prerogative to forward names of persons to be considered by the Search Committee as candidates in the process of making its recommendations and the Search Committee shall consider all such names on their own merits positively.

(b) The Search Committee may recommend upto three times as many names as the vacancies notified to it to be considered for being filled up. However, the vacancies notified to the Search Committee may be withdrawn, reduced, altered or increased at any point in time prior to the actual appointment of Chairman/Member (s) by the Government at its pure discretion.

(c) The Search Committee shall prepare its report in an alphabetical order (considering the first name of the candidate) and shall place it before the State Government, with all relevant material of the candidates, for the approval of the name (s).

(6) The State Government shall be at liberty to select as many person (s) as it deems suitable for being recommended to be appointed as Chairman/ Member(s) out of the recommendations so received from the Search Committee and shall not be bound to make all the requisite recommendations out of the recommendations so received from the Search Committee. The State Government, if it deems so to do as fit, shall be at liberty to adopt not less than the requisite number of vacancies as notified to the Search Committee as fit to be recommended by it for being appointed as Chairman/Members out of the recommendations received from the Search Committee.

Scanned by CamScanner

(7) The office of Chief Secretary, Haryana or any other office/officer appointed by the Chief Secretary shall provide secretarial assistance to the Search Committee.

(8) The Member Secretary of the Commission shall be appointed on deputation as provided under the Act.

Resignation of Chairperson and Members. sections 16 and 40.

4. The Chairperson or any Member may, by notice in writing under his hand addressed to the Governor of the State, resign from his office.

Procedure to be regulated by the Commission. sections 16 and 40

5. (1) Subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder, the Commission shall have the power to lay down its own procedure.

(2) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Member Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by it in this behalf.

Appointment of the staff and consultants of the Commission. sections 16 and 40.

6. (1) The Commission shall, in consultation with the State Government, determine the number, nature and categories of other officers and employees required to assist the Commission in the discharge of its functions.

(2) The salaries and allowances payable to the members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the officers and other employees of the Commission, shall be charged to the Consolidated Fund of the State.

(3) The Commission shall be entitled to appoint, from time to time, consultants required to assist the Commission in the discharge of its functions on terms and conditions to be decided by the Commission in consultation with Government.

Proceedings of the Commission. sections 16 and 40.

7. (1) The quorum for the meeting of the Commission shall be two; Provided that for a meeting of the Commission to review any previous decision taken by the Commission or for consideration of any issue which could not be decided on account of equality of votes in favour of and against the resolution proposed, the quorum for the meeting shall be all members being personally present.

(2) The Chairman of the Commission may instruct the Member Secretary to call a meeting of the Commission to be held at such time and at such place as the Chairman may direct. In addition, any member of the Commission may request for a meeting of the Commission at any time by sending a notice, in writing to the other members and with a copy to the Member Secretary. The notice of all meetings shall be given to the members in writing, unless all the members waive the notice in writing.

(3) The Commission shall be entitled to decide urgent matters by circulation of the papers to members.

Scanned by CamScanner

(4) In case of a difference of opinion among the members of the Commission, the opinion of the majority shall prevail and the opinion of the Commission shall be expressed in terms of the views of the majority. Each member of the Commission shall have one vote only. The Chairman shall have no casting or second vote.

(5) All decisions, directions and orders of the Commission shall be in writing and shall be supported by reasons. The decisions, directions and orders of the Commission shall be available for inspection by any person. Copies of the same shall also be made available in a manner as the Commission may specify.

(6) When the Chairperson of the Commission is unable to discharge the functions owing to absence, illness or any other cause, the next senior member of the Commission shall discharge the functions of the Chairperson, until the day on which the Chairperson assumes the charge of his functions.

(7) The Member Secretary shall be the Chief Executive Officer of the Commission and shall exercise such powers and discharge such functions, as delegated to it by the Commission.

(8) The headquarter of the Commission shall be at such place, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify and the Commission may, with the previous approval of the State Government, establish offices at other places in the State.

Pay and allowances of Chairman and Members. sections 17and 40.

8. (1) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of—

(a) the Chairperson shall be the same as that of the State Chief Information Commissioner of Haryana State Information Commission;

(b) the Member shall be the same as that of a State Information Commissioner of the Haryana State Information Commission :

Provided that if the Chairperson or a Member, at the time of his appointment is, in receipt of a pension, other than a disability or wound pension, in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State, his salary in respect of the service as the Chairperson or Member shall be reduced by the amount of that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity:

Provided further that where the Chairperson or Member if, at the time of his appointment is, in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in a Corporation

Scanned by CamScanner

established by or under any Central Act or State Act or a Government company owned or controlled by the Central Government or the State Government, his salary in respect of the service as the Chairperson or Member shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits:

Provided further that the salaries, allowances and other conditions of service of the Chairperson or Member shall not be varied to their disadvantage after their appointment.

T.V.S.N. PRASAD,
Principal Secretary to Government Haryana,
Food and Supplies Department, Chandigarh

52411—L.R.—H.G.P., Chd.

Scanned by CamScanner

भाग III

हरियाणा सरकार

खाद्य तथा पूर्ति विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 जुलाई, 2014

संख्या का०आ० 76 / के०अ० 20 / 2013 / धा० 40 / 2014.—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20), की धारा 40 की उप धारा (2) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, अधिसूचना खंख्या का0आ061 / के0अ020 / 2013 / धा040 / 2014 दिनांक 12 जून, 2014 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम हरियाणा खाद्य सुरक्षा (अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति का ढंग,—सेवा शर्तें) नियम, 2014, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20);

(ख) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है, आयोग का अध्यक्ष;

(ग) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य खाद्य आयोग; तथा

(घ) "सदस्य" से अभिप्राय है, आयोग का सदस्य।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

अध्यक्ष, सदस्य—सचिव और अन्य सदस्यों की नियुक्ति हेतु अन्वेषण समिति। धारा 16 और 40.

3. (1) अध्यक्ष और सदस्य राज्य सरकार की सिफारिश पर अपने हस्ताक्षर और मोहर के अधीन वारंट द्वारा राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(2) प्रथमतः इन नियमों के लागू होने के तीन मास के भीतर और वर्तमान अध्यक्ष या सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, की अवधि पूर्ण होने से तीन मास पूर्व राज्य सरकार द्वारा चयन प्रकिया प्रारम्भ की जाएगी और दो मास के भीतर समाप्त की जाएगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा, इसकी सहायता के लिए आयोग के अध्यक्ष / सदस्यों की नियुक्ति हेतु इसकी सिफारिशों को निश्चित करते हुए, यथा नियुक्त अध्यक्ष और बहुत से सदस्यों से गठित होने वाली अन्वेषण समिति होगी। अन्वेषण समिति निम्नलिखित के अध्यधीन कृत्य करेगी, अर्थात्:—

Scanned by CamScanner

अन्वेषण समिति इसकी अपनी बुद्धिमानी से किसी भी समय उक्त सिद्धान्तों, प्रक्रिया तथा मानदण्ड नियत और/अथवा परिवर्तित कर सकती है। तथापि, अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्ति हेतु सिफारिश करने के लिए व्यक्तियों का चयन करते समय, यह निम्नलिखित पर विचार करेगी :–

(i) यदि उम्मीदवार धारा 16 की उप–धारा (3) के खण्ड (क) के अधीन उपबन्धित प्रवर्ग से सम्बन्धित है, तो वह श्रेणी–I सेवा से होगा;

(ii) यदि उम्मीदवार धारा 16 की उप–धारा (3) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन उपबन्धित प्रवर्ग से सम्बन्धित है, तो वह व्यवसाय कोर्स में स्नातक अथवा किसी संकाय में स्नातकोत्तर होगा।

(4) राज्य सरकार, यदि यह उचित समझे, तो अन्वेषण समिति से उस द्वारा अपनाए गए सिद्धान्तों, प्रक्रिया और मानदण्ड का पुनः निरीक्षण करने की अपेक्षा कर सकती है और अन्वेषण समिति से उस द्वारा दिए गए सुझावों अनुसार उन्हें मिटाने, शामिल करने या परिवर्तित करने की अपेक्षा कर सकती है और ऐसे सुझावों का पालन करना जो अन्वेषण समिति पर बाध्य किए जांएगे।

(5) (क) राज्य सरकार, अन्वेषण समिति द्वारा, इसकी सिफारिशें करने की प्रक्रिया में उम्मीदवारों के रूप में, विचार किए गए व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करने का विशेषाधिकार बनाए रखेगी और अन्वेषण समिति सकारात्मक रूप से इसकी अपनी मैरिट पर सभी ऐसे नामों पर विचार करेगी।

(ख) अन्वेषण समिति, इसे अधिसूचित रिक्तियों को भरे जाने के लिए विचार करने हेतु बहुत से नामों की तीन गुणा तक सिफारिश कर सकती है। तथापि, अन्वेषण समिति को अधिसूचित रिक्तियां, सरकार द्वारा इसके विशुद्ध विवेक पर अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों) की वास्तविक नियुक्ति से पहले किसी भी समय वापस ली जा सकती हैं, कम, परिवर्तित या बढ़ाई जा सकती हैं।

(ग) अन्वेषण समिति वर्णानुक्रम में (उम्मीदवार के प्रथम नाम पर विचार करते हुए) अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और इसे नाम (नामों) के अनुमोदन हेतु, उम्मीदवरों की सभी सुसंगत सामग्री सहित राज्य सरकार के सम्मुख रखेगी।

(6) राज्य सरकार, बहुत से व्यक्ति (व्यक्तियों) के चयन के लिए स्वतन्त्र होगी जो वह अन्वेषण समिति से इस प्रकार प्राप्त सिफारिशों में से अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों) के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु सिफारिश किए जाने के लिए उपयुक्त समझे और अन्वेषण समिति से इस प्रकार प्राप्त सिफारिशों में से सभी अपेक्षित सिफारिशें करने के लिए आबद्ध नहीं होगी। राज्य सरकार, यदि यह इस प्रकार करना उचित समझें, अन्वेषण समिति को यथा अधिसूचित रिक्तियों

Scanned by CamScanner

की अपेक्षित संख्या से कम नहीं अपनाने के लिए स्वतन्त्र होगी, जो अन्वेषण समिति से प्राप्त सिफारिशों में से अध्यक्ष / सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु उस द्वारा की गई सिफारिश को उचित समझे।

(7) मुख्य सचिव, हरियाणा का कार्यालय या मुख्य सचिव द्वारा नियुक्त कोई अन्य कर्मचारी / अधिकारी अन्वेषण समिति को सचिवीय सहायता उपलब्ध करवायेगा।

(8) आयोग का सदस्य–सचिव अधिनियम के अधीन यथा उपबन्धित प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा।

अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र। धारा 16 और 40.

4. अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने हस्ताक्षराधीन लिखित में राज्य के राज्यपाल को सम्बोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

आयोग द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रिया। धारा 16 और 40.

5. (1) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, आयोग को इसकी अपनी प्रक्रिया अधिकथित करने की शक्ति होगी।

(2) आयोग के सभी आदेश और निर्णय सदस्य–सचिव या इस निमित्त आयोग द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत इसके किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

आयोग के अमले और परामर्शदाताओं की नियुक्ति। धारा 16 और 40.

6. (1) आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, आयोग को इसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता के लिए अपेक्षित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, किस्म और प्रवर्गों को अवधारित करेगा।

(2) सदस्यों को भुगतानयोग्य भत्ते और वेतनों और प्रशासनिक खर्चे जिसमें आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को या उनके सम्बन्ध में भुगतानयोग्य वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, राज्य संचित निधि से प्रभारित किए जाएंगे।

(3) आयोग, सरकार के परामर्श से आयोग द्वारा निर्णित किए जाने वाले निबन्धनों और शर्तों पर इसके कृत्यों के निर्वहन में आयोग की सहायता के लिए अपेक्षित परामर्शदाताओं को, समय–समय पर, नियुक्त करने का हकदार होगा।

आयोग की कार्यवाहियां। धारा 16 और 40.

7. (1) आयोग की बैठक हेतु गणपूर्ति दो से होगी, बशर्ते कि आयोग द्वारा लिए गए किसी पूर्व निर्णय के पुनर्विलोकन हेतु या किसी विषय को विचारने हेतु जो प्रस्तावित संकल्प के पक्ष में और विरूद्ध मतों की समता के कारण निर्णित नहीं किया जा सका, आयोग की बैठक हेतु, गणपूर्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले सभी सदस्यों से होगी।

(2) आयोग का अध्यक्ष, ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर, जैसा अध्यक्ष द्वारा निदेश किया जाए, आयोजित की जाने वाली आयोग की बैठक बुलवाने हेतु सदस्य–सचिव को अनुदेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग का कोई सदस्य, अन्य सदस्यों को लिखित में नोटिस और उसकी एक प्रति सदस्य–सचिव सहित भेजते हुए किसी भी समय आयोग की बैठक

Scanned by CamScanner

हेतु अनुरोध कर सकता है। सभी बैठकों के नोटिस लिखित में सदस्यों को दिया जाएगा, जब तक सभी सदस्य लिखित में नोटिस अधित्यक्त नहीं करते हैं।

(3) आयोग सदस्यों को पेपर वितरण करते हुए अति–आवश्यक मामले निर्णित करने के लिए हकदार होगा।

(4) यदि आयोग के सदस्यों के मध्य भिन्न राय है, तो बहुमत की राय सफल होगी और आयोग की राय बहुमत के अवलोकन के निबन्धनों अनुसार अभिव्यक्त की जाएगी। आयोग के प्रत्येक सदस्य का केवल एक मत होगा। अध्यक्ष के पास कोई निर्णायक अथवा दूसरा मताधिकार नहीं होगा।

(5) आयोग के सभी निर्णय, अनुदेश और आदेश लिखित में होंगे और कारणों से समर्थित होंगे। आयोग के निर्णय, अनुदेश और आदेश किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे। उनकी प्रतियां ऐसी रीति में भी उपलब्ध करवाई जाएंगी जैसा आयोग निर्दिष्ट करे।

(6) जब आयोग का अध्यक्ष अपनी उपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से कृत्यों का निर्वहन करने में अयोग्य है, तो आयोग का अगला वरिष्ठ सदस्य उस दिन तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक अध्यक्ष अपने कृत्यों का प्रभार धारण नहीं करता है।

(7) सदस्य–सचिव आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और आयोग द्वारा इसे प्रत्यायोजित ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(8) आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और आयोग, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से राज्य में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।

अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते। धारा 17 और 40.

8. (1) अध्यक्ष और सदस्यों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते और सेवा के निबन्धन और शर्तें निम्नलिखित होंगी –

(क) अध्यक्ष की हरियाणा राज्य सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के समरूप होंगी ;

(ख) सदस्य की हरियाणा राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त के समरूप होंगी :

परन्तु, यदि अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, उसकी नियुक्ति के समय पर, भारत सरकार के अधीन अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में, अशक्तता अथवा घायल पेंशन से अन्यथा, कोई पेंशन प्राप्त करता है, तो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन से उस पेंशन की राशि घटा दी जाएगी जिसमें पेंशन का कोई भाग जो संचित की गई थी और सेवानिवृत्ति उपदान के समकक्ष पेंशन निकालते हुए सेवानिवृत्ति के अन्य रूप के समकक्ष पेंशन शामिल है :

Scanned by CamScanner

परन्तु यह और कि जहां अध्यक्ष या सदस्य यदि, उसकी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित किसी निगम अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी सरकारी कम्पनी में दी गई किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त किए हैं, तो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन से सेवानिवृत्ति लाभ के समकक्ष पेंशन की राशि घटा दी जाएगी :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष या सदस्य का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें उसकी नियुक्ति के बाद उसके अहित में बदली नहीं जाएंगी।

टी.वी.एस.एन. प्रसाद,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य तथा पूर्ति विभाग।

Scanned by CamScanner